भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 133

(24 नवंबर, 2014 को उत्तर दिए जाने के लिए)

'मनरेगा' के अन्तर्गत निर्मित परिसम्पत्तियां

133. श्री मनसुख एल. मांडवियाः

क्या ग्रामीण विकास मंत्री दिनांक 21 जुलाई, 2014 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न 1331 के दिए गए उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के क्रियान्वयन के माध्यम से निर्मित परिसम्पत्तियों के बारे में अध्ययन रिपोर्ट प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो अध्ययन रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है और उक्त रिपोर्ट के निष्कर्षों पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है/प्रस्तावित है;

(ग) यदि नहीं, तो इसे कब पूरा किया जाएगा;

(घ) क्या सरकार ने राज्य सरकारों को मनरेगा के माध्यम से सृजित परिसम्पत्तियों की प्रगति की निगरानी किए जाने के लिए विगत छह महीनों के दौरान कोई परामर्श जारी किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो क्या सरकार मनरेगा के प्रभाव का पता लगाने के लिए निकट भविष्य में ऐसा करने का विचार रखती है?

उत्तर

ग्रामीण विकास मंत्री

(श्री बीरेन्द्र सिंह)

(क): जी, हां। विभिन्न सरकारी और स्वतंत्र संस्थाओं ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के कार्यान्वयन के माध्यम से निर्मित परिसंपत्तियों सहित मनरेगा के विभिन्न पहलुओं के विषय में विभिन्न अध्ययन और राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) सर्वेक्षण किए हैं।

(ख) एवं (ग): परिसंपत्तियों की गुणवत्ता में सुधार के लिए इन रिपोर्टों के निष्कर्षों की जानकारी राज्य सरकार को दी जाती है। टिकाऊ परिसंपत्तियों का निर्माण, स्थायी विकास

और आजीविका सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मंत्रालय ने विभिन्न स्कीमों के साथ मनरेगा के तालमेल के दिशा-निर्देश जारी किए हैं। विभिन्न क्षेत्रों के कार्यक्रमों के साथ मनरेगा के तालमेल से विभिन्न क्षेत्रों में सुसंगत विकास, सार्वजनिक निवेशों का अधिकतम उपयोग तथा आजीविका सुरक्षा की गारंटी से संबंधित सामान्य लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित होंगे। मंत्रालय ने सर्वोत्तम कार्यों की जानकारी के आदान-प्रदान के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तरों पर तालमेल कार्यशालाओं का आयोजन, तालमेल के लिए नोडल अधिकारी की नियुक्ति (राज्यों द्वारा), 'राज्य तालमेल पुरस्कार' का प्रारंभ तथा आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, झारखंड, ओडिशा, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल राज्यों के 184 ब्लॉकों में मनरेगा और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का तालमेल जैसे कई अन्य प्रमुख निर्णय भी लिए हैं। मंत्रालय ने राज्य तालमेल योजनाएं (एससीपी) तैयार करने के लिए विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के साथ समन्वय किया है।

(घ) एवं (ड.): मनरेगा के अंतर्गत निर्मित परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी कार्यक्रम प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) द्वारा की जाती है। परिसंपत्तियों का स्थायित्व और उपयोगिता बढ़ाने के लिए मंत्रालय ने राज्यों/सं.रा.क्षेत्रों को जो एडवाइजरी जारी की है, वे इस प्रकार हैं:

- मनरेगा के अंतर्गत भवन निर्माण में उपयुक्त प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल के विषय में दिनांक 30 अक्तूबर, 2014 को जारी एडवाइजरी ।
- भूमि, जल और वृक्षों के तालमेल के माध्यम से कृषि और तत्संबंधी कार्यकलापों से सीधे जुड़े कार्यों के विषय में दिनांक 17 सितंबर, 2014 को जारी एडवाइजरी।
- कनाल ड्रेनेज के रख-रखाव और सुधार कार्यों के विषय में दिनांक 16 सितंबर, 2014 को जारी एडवाइजरी।
- संशोधित आईडब्ल्यूएमपी-मनरेगा तालमेल दिशा-निर्देशों के विषय में दिनांक 11 अगस्त, 2014 को जारी एडवाइजरी।
- पेयजल स्रोत सहित भूजल पुनर्भरण के विषय में दिनांक 7 अगस्त, 2014 को जारी एडवाइजरी।
- मनरेगा के अंतर्गत कार्यों में परिणामोन्मुख अभिविन्यास के विषय में दिनांक 5 अगस्त, 2014 को जारी एडवाइजरी।
- सड़कों के दोनों किनारों पर वृक्षारोपण के विषय में दिनांक 31 जुलाई, 2014 को जारी एडवाइजरी।